उत्तर प्रदेश शासन
परिवहन अनुभाग-4
संख्या-20/2024/1389/तीस-4-2024
लखनऊ: दिनांक 28 नवम्बर, 2024

अधिसूचना

मोटरयान अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या 59 सन् 1988) की धारा 67 की उपधारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश को ठेका गाड़ी के रूप में संचालित होने वाले ई-रिक्शा हेतु किराये की अधिकतम दर प्रति किलोमीटर या उसके भाग के लिए ₹ 08.30 नियत करने हेतु निदेश देते हैं।

आज्ञा से,

एल0 वेंकटेश्वर लू
प्रमुख सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-20/2024/1389(1)/तीस-4-2024, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, (विज्ञापन प्रभाग) उत्तर प्रदेश, लखनऊ को अधिसूचना के हिन्दी एवं अंग्रेजी आलेख की प्रति सहित इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया इस अधिसूचना की हिन्दी प्रति प्रदेश के 02 अधिकतम प्रसारित हिन्दी दैनिक समाचार पत्रों में तथा अंग्रेजी प्रति प्रदेश के 02 अधिकतम प्रसारित अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराते हुए उनकी प्रतियां शासन को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
संलग्नक-यथोक्त।

आज्ञा से,

के0पी0 सिंह
विशेष सचिव

संख्या-20/2024/1389(2)/तीस-4-2024, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि संयुक्त निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को अधिसूचना की अंग्रेजी प्रति सहित इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त अधिसूचना को दिनांक 28 नवम्बर, 2024 के असाधारण गजट के परिशिष्ट, भाग-4, खण्ड(ख) (परिनियत आदेश) में प्रकाशित करवाने तथा प्रकाशित अधिसूचना की 100 प्रतियॉ परिवहन अनुभाग-4, कक्ष संख्या-320, बापू भवन, उत्तर प्रदेश सचिवालय को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
संलग्नक-यथोक्त।

आज्ञा से,

के0पी0 सिंह
विशेष सचिव

संख्या-20/2024/1389(3)/तीस-4-2024, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. समस्त मण्डलायुक्त/समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश (द्वारा परिवहन आयुक्त)।
4. समस्त संभागीय परिवहन अधिकारी/सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, उत्तर प्रदेश (द्वारा परिवहन आयुक्त)।
5. अध्यक्ष, स्टेट ट्रांसपोर्ट अपीलेट ट्रिब्यूनल, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

राम गोपाल सिंह
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Uttar Pradesh Shasan
Parivahan Anubhag- 4

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 20/2024/1389/ XXX-4-2024, dated 28 November, 2024.

Notification

No.20/2024/1389/XXX-4-2024
Lucknow: Dated 28 November, 2024

In exercise of the powers under sub section (1) of section 67 of the Motor Vehicles Act, 1988 (Act No. 59 of 1988), the Governor is pleased to direct the State Transport Authority, Uttar Pradesh to fix ₹ 08.30 per kilometre or part thereof as the maximum rate of the fare, for E-Rickshaw operating as a contract carriage.

By order,

L. Venkateshwar Lu
Principal Secretary

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।